राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रः प.3(3)(5)रोल्स / ईआरएमएस / निर्वा / 2016 / 1767 जयपुर, दिनांक : 27 अप्रेल, 2016

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(जिला कलक्टर), राजस्थान।

विषयः फोटोयुक्त मतदाता सूची, पी.वी.सी मतदाता फोटो पहचान पत्र व अन्य की नमूना निविदा के प्रारूप के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2014 में इस विभाग द्वारा ''निर्वाचक नामावली तैयार करवाकर मुद्रण कर उपलब्ध करवाने एवं निर्वाचक का पीवीसी ईपिक कार्ड बनवाने हेतु दोनों कार्य खुली निविदा द्वारा आवंटित करने के उद्देश्य से एकीकृत निविदाऐं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर से कराने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने–अपने स्तर पर पृथक–पृथक निविदाऐं तैयार कर उपरोक्त विषय के लिए निविदाऐं जारी की जाकर कार्य को सफल निविदादाताओं द्वारा विषयान्तर्गत कार्य को भली–भांति सम्पादित करवाया गया।

इस क्रम में दोनों कार्यो एवं कुछ और अन्य कार्यो के लिए समस्त जिलों में एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 ("RTPP Act, 2012 & Rules, 2013") एवं नियम, 2013'' तथा ''सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों'' के अन्तर्गत एक ''नमूना निविदा प्रपत्र का प्रारूप'' तैयार किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यह प्रारूप अन्तिम न होकर केवल उद्वरण के लिये हैं। इसमें आपके जिले की आवश्यकता के अनुसार "RTPP Act, 2012 & Rules, 2013" & GFAR के अन्तर्गत आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं।

जहॉ जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्ति के लिये रिक्त स्थान छोडा गया है वहां आप द्वारा यथोचित आवश्यक पूर्ति की जायेगी तथा यदि जिलें की भोगोलिक दृष्टि एवं स्थिति के अनुसार यदि अन्य कोई शर्त जोड़ना आवश्यक हो तो जोड़ी जा सकती है। नमूना निविदा प्रपत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। यह नमूना निविदा प्रपत्र का प्रारूप एक सांकेतिक हैं जिसे आपके द्वारा अंतिम रूप दिया जाना हैं एवं आपके अनुमोदन के पश्चात् इसे निम्न वैबसाइटों पर अपलोड किया जायेगा जिसके प्रबन्धन का कार्य भी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्वयं के स्तर पर करेंगेः–

1 http://sppp.rajasthan.gov.in
2 http://dipronline.rajasthan.gov.in
3 Website of concerned DEO (Collector)

उक्त निविदा की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करावें। विभाग के पूर्व आदेशानुसार ऑनलाइन ईआरएमएस सॉफ्टवेयर सभी जिलों को उपलब्ध करवाया जाकर लागू किया जा चुका हैं तथा उस पर कार्य भी प्रारम्भ हो चुका हैं।

चूँकि वर्ष 2014 में भारत निर्वाचन आयोग के प्राप्त निर्देशों के आधार पर नॉन इलेक्शन वर्ष होने के कारण निर्वाचक नामावलियों का एकीकरण नहीं करवाया गया था परन्तु आयोग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावलियों का एकीकरण करवाया जाना हैं। अतः इस एकीकरण बिन्दु को भी उक्त "नमूना निविदा प्रपत्र के प्रारूप" में सम्मिलित किया गया हैं।

इस पत्र के साथ संलग्न "नमूना निविदा प्रपत्र का प्रारूप (Draft Sample Indicative Template of Bid Document for Preparation & Supply of Photo Elector Rolls with Integration of E-Roll data, Printing of Personalized EPIC on Pre-Printed PVC Cards, BLO Register & various Statistical Reports, Processing of Parishisht-A as per specifications mentioned in the Bid Document and ECI Guidelines)" एक प्रकार का सुलभ संदर्भ है जिसके आधार पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने जिलें के लिए आवश्यक पैरामीटरों एवं परिवर्तनों का समावेश करते हुए निविदा प्रपत्र अपने स्वयं के स्तर पर तैयार करें जिसे नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर, प्राप्त निविदाओं का मूंल्याकन कर, कार्यादेश, अनुबंध सम्पादित कर आपके द्वारा तैयार की गई निविदा में वर्णित कार्यो को शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करवाया जाना आरम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही आपके द्वारा तैयार की गई निविदा में वर्णित कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने एवं निरन्तर पर्यवेक्षण के लिये जिला मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद से नीचे का अधिकारी नही होगा एवं "जिला क्रय समीति" का गठन भी किया जाएगा। इसकी सूचना अविलम्ब इस विभाग को ईमेल raj.pvc.epic@gmail.com के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

यह भी निर्देश दिए जाते है कि निविदा कार्य के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की एवं "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013" ("RTPP Act, 2012 & Rules, 2013") तथा "सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों" की शत–प्रतिशत पालना करना सुनिश्चित करावें एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निविदा संबंधी प्रक्रिया सम्पूर्ण कर लिया जाना भी सुनिश्चित करावें।

(राजेश यादव)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर